"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त 2017 —— श्रावण 19, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–62/2017/वाक/पांच (110). —— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15–ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ–10–51/2017/वाक/पांच(95) दिनांक 12–07–2017 में निम्नानुसार संशोधन करती है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के कॉलम (2) में शब्द "केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (दो–घ) में विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य एविएशन टरबाईन फ्यूल" के स्थान पर "एविएशन टरबाईन फ्यूल" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से प्रभावशील माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2017

क्रमांक एफ–10–62/2017/वाक/पांच (110). —— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–62/2017/वाक/पांच (110), दिनांक 04–08–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 4th August 2017

NOTIFICATION

No. F-10-62/2017/CT/V(110). — In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in the notification No. F-10-51/2017CT/V(95) Dated 12-07-2017 :-

AMENDMENT

In Schedule to the said notification, in column (2) of serial No. 1 the word "Aviation turbine fuel other than that specified in clause (ii-d) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)" the words " Aviation turbine fuel" shall be substituted.

2. This amendment deemed to have come into force from 1st July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017